

समाचार
नोवल कोरोना वायरस

निगम के विभिन्न जोनांतर्गत लगाया गया 8300 रु. जुर्माना

(निगम द्वारा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर की जा रही लगातार कार्यवाही)



कोरबा 10 दिसम्बर 2020 –बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने वाले तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर निगम द्वारा निरंतर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 8300 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत 1100 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1000 रुपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 1700 रुपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 400 रुपये, बालको जोनांतर्गत 1600 रुपये, दर्रा जोनांतर्गत 1000 रुपये, बांकीमोंगरा जोनांतर्गत 400 रुपये एवं सर्वमंगला जोनांतर्गत 1100 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।